

न्यायालय भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला देवास (म0प्र0)
कमांक-128/2025 देवास, दिनांक 05.05.2025

::-विविध आदेश:-
धारा 450 बी.एन.एस.एस.

अतः मैं भारत सिंह कनेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवास म.प्र., भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 450 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पंकज सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव देवास के न्यायालय (रिक्त न्यायालय) में लंबित से समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरणों (आर.सी.टी., एन.आई.ए., एम.जे.सी.आर., अपंजीकृत आपराधिक प्रकरण/परिवाद, पत्रावली इत्यादि) को आहरित कर सुश्री तनिष्का वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगांव, जिला देवास के न्यायालय को विधिवत सुनवाई एवं निराकरण हेतु अंतरित करता हूँ।


भारत सिंह कनेल,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला- देवास म.प्र.

पृष्ठांकन कमांक-128/2025

देवास, दिनांक 05.05.2025

प्रतिलिपि :-

1. सुश्री तनिष्का वैष्णव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव, जिला देवास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. रिक्त न्यायालय-श्री पंकज सविता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खातेगांव जिला देवास की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग देवास की ओर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को ई-मेल किए जाने हेतु।


भारत सिंह कनेल,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला- देवास म.प्र.